माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर (म.प्र.)

राजस्व निगरानी क्र. /2017 PBR/निगरानी/उज्जैन/भू.रा/2017/3535

भंवरबाई पति कचरूलाल बलाई, आयु 60 वर्ष, व्यवसाय--कृषक, जवासियाकुमार निवासी--धंतरावदा जिला उज्जैन द्वारा --आममुख्त्यार पति कचरूलाल पिता लक्ष्मणजी बलाई, आयु 65 वर्ष,रिटायर्ड शिक्षक निवासी--धंतरावदा जिला उज्जैन ....प्रार्थी / आवेदक

विरूद्ध

कौशल्याबाई पति प्रहलाद जाट, आयु 41 वर्ष, धंधा--कृषि कृषक ग्राम जवासियाकुमार निवासी--गांव केसुनी तहसील व जिला उज्जैन .....अनावेदक

श्री [handwritten] द्वारा आज दि 26-9-17 को प्रस्तुत

26-9-17

रीडर ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

C12 4.10.17

26/9/17 (L.S. Dhakad)

निगरानी धारा 50 म.प्र.भू.रा.संहिता

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से यह निगरानी वाद सीमांकन प्रकरण क्र. 197/12 वर्ष 16--17 में पारित आदेश दिनांक 06/09/2017 से असंतुष्ट होकर न्याय दान हेतु प्रस्तुत है :--

प्रकरण का सार-- ग्राम जवासियाकुमार में भंवरबाई की भूमि सर्वे नम्बर 51/2/1 रकबा 0.400, सर्वे नम्बर 51/1 रकबा 0.830, सर्वे नम्बर 34/1/3/2 रकबा 0.100 एवं सर्वे नम्बर 50/2 रकबा 0.710 हेक्टर की भूमि स्वामी के रूप में भंवरबाई का नाम दर्ज है व कौशल्याबाई की भूमि सर्वे नम्बर 23/1 रकबा 0.308, सर्वे नम्बर 23/2 रकबा 0.308, सर्वे नम्बर 23/3 रकबा 0.308, सर्वे नम्बर 23/4 रकबा 0.309 एवं जिसके नवीन सर्वे नम्बर 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 बने है। कौशल्याबाई ने यह भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 15/03/2007 के माध्यम से 1.260 हीरालाल पिता भुवान आंजना जो वर्तमान में मृत है उससे व अन्य सहकृषको

निरन्तर....2

-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

507

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - पीबीआर/निगरानी/उज्जैन/भू.रा./2017/3535

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हंस्ताक्षर
05-12-18	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार तहसील उज्जैन के प्रकरण क्रमांक 197/अ-12/2016-17 में पारित आदेश दिनांक 05.09.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा-50 के तहत पेश की गई है। 2/ म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 25-5-19 को कलेक्टर जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। **(एम.गोपाल रेड्डी)** **प्रशासकीय सदस्य**	